न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

(25)

पीठासीन अधिकारीः– लक्षमण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 334 / 2022
योगेश बारोदिया, वरिष्ठ सहायक, उप तहसील कार्यालय, गुडा, वर्तमान पद्स्थापन तहसील कार्यालय, उदयपुरवाटी, मो0न0 9462012153

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 27.10.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 12.10.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 334 / 2022 पर दिनांक 12.10.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 5288–89 दिनांक 12.10.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी ने पत्रांक पी0ए0 / 2021 / 1517 दिनांक 20.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री योगेश कुमार द्वारा अपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत मांगी गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक पीए / सू0अ0 / 2021 / 1468–69 दिनांक 06.10.2022 के द्वारा भिजवाई गई थी। प्रार्थी द्वारा अपील सं0 334 / 2022 मे रीडर / 2021 / 534 दिनांक 23.12.2021 की सत्य प्रतिलिपि चाही गई है लेकिन श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा अपने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के आवेदन मे पाठक / 2021 / 534 दिनांक 12.12.2021 की प्रतिलिपि चाही गई थी जो इस कार्यालय मे उपलब्ध नही थी। श्रीमान्जी से प्राप्त अपील सं0 334 / 2022 मे उल्लेखित रीडर / 2021 / 534 दिनांक 23.12.2021 की जिसमे क0सं0 1 से 13 दस्तावेजों का विवरण उपलब्ध कराने की प्रतिलिपि चाही गई है वो इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है। पत्रांक स्था0 / 22 / 09 दिनांक 11.04.2022 की प्रतिलिपि जो इस कार्यालय के पत्रांक पीए / सू0अ0 / 2022 / ... दिनांक 20.10.2022 के द्वारा प्रार्थी को भिजवाई जा चुकी है। अतः श्रीमान्जी से ... है कि प्रार्थी की अपील खारीज करे वस्तुस्थिति की रिपोर्ट श्रीमान्जी सेवामे सादर प्रेषित है।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी ने पत्रांक पी0ए0 / 2021 / 1517

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

(26)

दिनांक 20.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री योगेश कुमार द्वारा अपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत मांगी गई सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक पीए/सू0अ0/2021/1468-69 दिनांक 06.10.2022 के द्वारा भिजवाई गई थी। प्रार्थी द्वारा अपील सं0 334/2022 मे रीडर/2021/534 दिनांक 23.12.2021 की सत्य प्रतिलिपि चाही गई है लेकिन प्रार्थी द्वारा अपने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के आवेदन मे पाठक/2021/534 दिनांक 12.12.2021 की प्रतिलिपि चाही गई थी जो उनके कार्यालय मे उपलब्ध नही थी। अपील सं0 334/2022 मे उल्लेखित रीडर/2021/534 दिनांक 23.12.2021 की जिसमे क0सं0 1 से 13 दस्तावेजों का विवरण उपलब्ध कराने की प्रतिलिपि चाही गई है वो उनके कार्यालय मे उपलब्ध नही है। पत्रांक स्था0/22/09 दिनांक 11.04.2022 की प्रतिलिपि जो उनके कार्यालय के पत्रांक पीए/सू0अ0/2022/1516 दिनांक 20.10.2022 के द्वारा प्रार्थी को भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 27.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:29 IST
Reason: SelfAttested